

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2913(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 359, दिनांक 30 मार्च, 1988, जिसे भारत के राजपत्र, (असाधारण) के भाग-II, खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में दिनांक 15 नवम्बर, 2014 से प्रभावित होने के लिए निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में—

(i) उपवाक्य (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,—

"(क) आयकर (मध्य) के प्रधान महानिदेशक, प्रधान मुख्य आयुक्त, महानिदेशक, मुख्य आयुक्त [आयकर (जांच) की महानिदेशक, आयकर (मध्य) के मुख्य आयुक्त, आयकर महानिदेशक (आई एण्ड सी आई) और मुख्य आयुक्त, आयकर (छूट) समेत] केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीनस्थ होंगे।"

(ii) उपवाक्य (कक) को निरसित किया जाता है।

[अधिसूचना सं. 68/2014/फा. सं. 187/30/2014 (आईटीए-1)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना संख्या का. आ. 359, दिनांक 30 मार्च, 1988 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 30 मार्च 1988 को प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या का.आ. 229(अ), दिनांक 21 मार्च, 1996 और का.आ. 2813(अ), दिनांक 3 नवम्बर, 2014 के द्वारा संशोधन किया गया है।